यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव R. A. S.

न. मु. 135/2024

1 निवाज मोहम्मद सोलंकी पुत्र अब्दुल गफूर सोलंकी जाति सिलावट निवासी वार्ड न. 28, दड़ीबा मस्जिद के पास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति</u>

उपस्थित

1 प्रार्थी :– मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 23/01/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम उपाधिया में मुझ प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 165/140 रकबा 2.3395 हैक्टेयर निवाजमो. पुत्र गफूर के नाम खातेदारी का दर्ज है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम निवाज मोहम्मद सोलंकी पुत्र अब्दुल गफूर सोलंकी दर्ज है मै प्रार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा में अपना नाम निवाजमो. पुत्र गफूर के स्थान पर निवाज मोहम्मद सोलंकी पुत्र अब्दुल गफूर सोलंकी शुद्ध दर्ज करवाना चाहता हूँ। उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 165/140 रोही उपाधिया तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं तथा खसरा भूमि रोही उपाधिया में स्थित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही उपाधिया के खसरा नम्बर 165/140 के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश मे नाम निवाजमो. पुत्र गफूर के स्थान पर निवाज मोहम्मद सोलंकी पुत्र अब्दुल गफूर सोलंकी शुद्ध करने के आदेश अता फरमाये।

लगातार....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रकरण में नाम शुद्ध किया जाना उचित माना है।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकार्ड शुद्धि का आदेश दिया जाता है कि रोही उपाधिया के खसरा नम्बर 165/140 रकबा 2.33395 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश मे नाम निवाजमो. पुत्र गफूर के स्थान पर निवाज मोहम्मद सोलंकी पुत्र अब्दुल गफूर सोलंकी शुद्ध दर्ज किया जावे। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर